6.

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–34/2015 109 पटना, दिनांक: 13.03.18

कार्यालय आदेश

श्री उदय कृष्ण यादव, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधेपुरा सदर, मधेपुरा संप्रति अंचल अधिकारी, नवगछिया, भागलपुर के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पत्रांक 1279(नि०को०) /रा० के साथ संलग्न समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक 91–1/रा० द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–276 सहपठित ज्ञापांक 1823 दिनांक 24.11.2015 द्वारा श्री उदय कृष्ण यादव पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में उप विकास आयुक्त मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त पत्रांक 716 /जि०ग्रा०वि०अभि० दिनांक 27.05.2016 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि " आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जबाब/साक्ष्य के अवलोकन तथा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी– सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा के मंतव्य के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जमीन का दोबारा जमाबंदी कायम हो गया है तो तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधेपुरा द्वारा हल्का कर्मचारी–सह–अंचल निरीक्षक श्री सिंह को अंचल कार्यालय, मधेपुरा के पत्रांक 176–2, दिनांक 26.02.2015 को स्पष्टीकरण एवं पत्रांक 347–2 दिनांक 15.04.2015 द्वारा स्मारित किया गया, हल्का कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक अपने जवाब में गलती को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है कि इसके लिए हल्का कर्मचारी ही पूर्ण रूप से दोषी है क्योंकि वे जमाबंदी रजिस्टर–II के संधारक भी होते है, जिन्हें यह जानकारी होती है किनके नाम से कितनी जमीन संधारित /कायम है, इस आधार पर तत्कालीन अंचल अधिकारी को दोषी मानना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि तत्कालीन अंचल अधिकारी ने गलत जमाबंदी कायम हो जाने से संबंधी मामला संज्ञान में आने के पश्चात् से ही उन्होंने संबंधित राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक से स्पटीकरण पूछा एवं जमावंदी रद्द करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अभिलेख भेजा तथा संबधित हल्का कर्मचारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रतिवेदित

किया। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधेपुरा ने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ने अन्य आरोपों में भी तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधेपुरा को अपने जॉच प्रतिवदेन में आरोप से मुक्त कर दिया है।

इस प्रकार उपर्युक्त साक्ष्यों एवं प्राप्त कागजात के आलोक में तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधेपुरा संप्रति अंचल अधिकारी, नवगछिया (भागलपुर) पर आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 1543 दिनांक 19.07.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 420/जि०ग्रा०वि०अ० दिनांक 22.02.2018 के द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है :–

" आपके पत्र के आलोक में संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

अतः संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 716/जि०ग्रा०वि०अ० दिनांक 27.05.2016 द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन /फलाफल को इस आलोक में सम्पुष्ट किया जाता है ।"

अतः संचालन पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा भेजे गये जॉच प्रतिवेदन एवं उस जॉच प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री उदय कृष्ण यादव पर गठित आरोप प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–34/2015 635 पटना, दिनांक : 13.03.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/भागलपुर।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा/भागलपुर।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. श्री उदय कृष्ण यादव, अंचल अधिकारी, नवगछिया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/18
निदेशक